न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3897–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 2909013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण कमांक 06/अपील/12–13.

———

मूलचंद मीणा पुत्र करन सिंह मीणा
निलंबित पटवारी हल्का नं. 38 चौपड़ा
तहसील पुरवाई जिला विदिशा म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
तह. कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0 ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेई ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20-4-2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 06/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29–9–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को शासकीय कार्य में लापरवाही एवं हल्के से अनुपस्थित रहने व मण्डी चुनाव एवं जनगणना कार्य में लापरवाही करने के आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया और उसे आरोप पत्र जारी किया गया । विभागीय जांच में आवेदक पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15–5–12 द्वारा आवेदक को सेवा से पृथक किए जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो कलेक्टर ने आलोच्य

आदेश द्वारा निरस्त की है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि जो आरोप पत्र आवेदक को दिये गये हैं उसमें 6 आरोप आरोपित किए गए है जबकि आरोप पत्रों के साथ जो विवरण संलग्न किया गया है उसमें आरोप क्र. 1, 2 एवं 5 का विवरण ऊपरी तौर पर दिया गया है । इसमें कोई विशेष घटना अथवा दिनांक का उल्लेख नहीं है । मंडी निर्वोचन की वोटर लिस्ट संबंधी आरोप क्र. 3 भी सही नहीं है क्योंकि आवेदक ने ही वोटर लिस्ट का प्रकाशन नियमानुसार कराया था । आरोप कमांक 4 कृषक पन्नालाल पुत्र तुलसीराम तथा पन्नालाल पुत्र सुमेर सिंह से पैसे लेकर उनके कार्य न करने के संबंध में है यह आरोप साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं हो सका है । उनका कहना है कि यह सभी आरोप ऐसे नहीं हैं जिन्हें आवेदक की सेवानिवृत्ति के दण्ड के लिए आरोप माना जा सके ।

यह तर्क दिया गया है कि आरोप कमांक 6 शासकीय अभिलेख में हेराफेरी करने से संबंधित है, यह एक मात्र ऐसा आरोप है जो गंभीर प्रकृति का कहा जा सकता है परंतु उनका तर्क है कि यह आरोप आवेदक के विरूद्ध प्रमाणित नहीं है क्योंकि शासकीय अभिलेख में जिस समय हेराफेरी करने के आरोप से आरोपित किया गया है उस समय आवेदक पटवारी हल्का कमांक 24 के प्रभार में नहीं था । आवेदक की पदस्थापना वर्ष 2007–08 में हुई थी । उनका कहना है कि अभियोजन साक्षी और जांच दल के सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने अपने कथनों स्पष्ट कहा है कि वे नहीं बता सकते कि शासकीय अभिलेखों में कांट–छांट किस पटवारी के कार्यकाल में की गई है । अभियोजन साक्षी जगदीश सैनी, लिपिक द्वारा भी कथनों में बताया गया है कि मैं नहीं बता सकता कि रिकार्ड में हेराफेरी किसने की । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तीसरे अभियोजन साक्षी श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक एवं जांच समिति के सदस्य के कथन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि उनका कथन है कि विवादित भूमि आबादी की भूमि नहीं थी जिसमें फ्लूड लगाकर पृष्ठ बदलकर वर्ष 2002–03 में निजी

व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई हो । यह प्रविष्टियां आवेदक द्वारा की जाना प्रमाणित नहीं हैं ।

आवेदक अभिभाषक ने इसी क्रम में अभियोजन साक्षी गोरेलाल अहिवार, राजस्व निरीक्षक एवं जांचदल के सदस्य के कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसने अपने परीक्षण में कहा है कि शासकीय भूमि अवैध रूप से निजी व्यक्तियों के नाम वीरेन्द्र वर्मा के पहले जो पटवारी थे उसके द्वारा की गई होगी । तत्कालीन तहसीलदार श्री पालीवाल ने भी इस विषय परएक जांच की थी जिसमें यह पाया था कि वर्ष 2002–03 एवं 2005–06 में ग्राम लेटनी में जो पटवारी पदस्थ रहा है, उसके द्वारा फर्जी प्रविष्टियां की जाना प्रमाणित है । यह प्रविष्टियां आवेदक के निलंबित होने के बाद की गई जांच में सुधारी गई हैं । अर्थात किसी भी अभियोजन साक्षी के कथनों से यह तथ्य लेशमात्र भी प्रमाणित नहीं हुआ कि तथाकथित प्रविष्टियां आवेदक द्वारा की गई थीं ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को दंडित करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मुनब्बर खां पटवारी ने दिनांक 31.7.05 को हरीसिंह रावत पटवारी को प्रभार सौंपा था । हरीसिंह रावत से आवेदक को 2002 एवं 2003 एवं 2006 से 2007 तक का प्रभार प्राप्त हुआ था जिसकी चार्ज रिर्पोट आवेदक ने पेश की है । आवेदक ने दिनांक 31.5.06 को हरी सिंह से पदभार ग्रहण किया था किंतु हरीसिंह ने आवेदक को 2003 से 2006 तक के अभिलेख प्रभार में नहीं दिए थे । इस संबंध में राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन भी आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिशिष्ट 8 एवं 8–ए के रूप में प्रस्तुत किया था ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2002 से 2006 तक के अभिलेखों के संबंध में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि ग्राम लेटनी का 2002 से 2006 तक का अभिलेख मोहनसिंह कुशवाह ने रामबाबू श्रीवास्तव पटवारी को दिनांक 3–1–08 को सौंपा था और वही अभिलेख जुलाई 2008 में वीरेन्द्र कुमार वर्मा पटवारी को दिया गया । उनका तर्क है कि जब प्रश्नाधीन प्रविष्टियों से संबंधित अभिलेख आवेदक को प्राप्त नहीं हुए हैं तब उस पर लगाया गया आरोप स्वतः निराधार हो जाता है ।